परिशिष्ट–एक

पैराशिक्षक अध्ययन प्रपत्र

सामान्य खण्ड

(अ) व्यक्तिगत जानकारी

1. नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. शैक्षणिक योग्यता
5. व्यवसायिक योग्यता
6. पदनाम
7. विद्यालय का नाम :

   तहसील :

   जिला
8. नियुक्ति दिनांक :

(ब) पारिवारिक जानकारी :

1. वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित☐
2. आश्रित सदस्यों की संख्या :
3. परिवार का प्रकार : संयुक्त ☐ विखण्डित ☐
4. परिवार में अन्य कमाने वाले सदस्यों की संख्या : ☐
5. परिवार का व्यवसाय : ☐
6. परिवार की आय : ☐

विशिष्ट खण्ड :

1. धारित पद

   (1) क्या आपका पद, आपके शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है ?

   हाँ ☐ नहीं ☐

(2) क्या आप अपने पद के नाम से संतुष्ट हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

(3) क्या आप, अपने धारित पद के माध्यम से अपने अन्दर निहित योग्यता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाते हैं? हाँ☐नहीं☐

पद कार्य :

(1) क्या आपको पद के अनुरूप, कक्षाएँ पढ़ाने के लिये मिलती हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

(2) क्या आपको मिलने वाला वेतनमान, आपके परिवार के भरण-पोषण तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

(3) आहरित वेतन क्या आपको आत्म संतुष्टि प्रदान करता है? हाँ ☐ नहीं ☐

4. विद्यालय प्रशासन –

(1) क्या विद्यालय प्रशासन कार्य सम्पादन के लिये अनुकूल वातावरण करता है? हाँ ☐ नहीं ☐

(2) क्या विद्यालय प्रशासन द्वारा आपको ऐसे अवसर प्रदान किये जाते हैं कि आप अपनी सूझ-बूझ के द्वारा अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें? हाँ ☐ नहीं ☐

(3) क्या विद्यालय प्रशासन पैरा शिक्षकों तथा नियमित शिक्षकों में कोई भेदभाव करता है? हाँ ☐ नहीं ☐

5. **नियमित शिक्षकों का व्यवहार :**

(1) क्या आप, नियमित शिक्षकों के साथ काम करने में सहजता महसूस करते हैं? हाँ ☐ नहीं ☐

(2) क्या किसी नये काम में आपको नियमित शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होता है? हाँ ☐ नहीं ☐

(3) क्या आपको, नियमित शिक्षकों द्वारा, उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है? हाँ ☐ नहीं ☐

6. शिक्षा विभाग के नियम :

(1) क्या शिक्षा विभाग, आपके हितों का ध्यान रखकर नियम बनाती है ? हाँ ☐ नहीं ☐

(2) क्या शिक्षा विभाग आपको नियमित शिक्षकों की तरह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपती है ? हाँ ☐ नहीं ☐

(3) क्या शिक्षा विभाग, आपको अपने विभाग के कर्मचारी के रूप में मान्यता प्रदान करता है ? हाँ ☐ नहीं ☐

7. सामाजिक प्रतिष्ठा :

(1) क्या समाज के लोग आपसे तथा नियमित शिक्षकों में भेदभाव करते हैं ? हाँ ☐ नहीं ☐

(2) क्या बच्चे के व्यवहार में; आप, अपने प्रवर्ग तथा नियमित शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में कोई भेदभाव महसूस करते हैं ? हाँ ☐ नहीं ☐

(3) क्या अभिभावक अपने बच्चे के भाग्य निर्माता के रूप में, आपकी अपेक्षा नियमित शिक्षक को अधिक प्राथमिकता देते हैं ? हाँ ☐ नहीं ☐

इसके अतिरिक्त यदि आप समस्याओं या उनके निराकरण के लिये सुझाव संबंधी विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया नीचे लिखें – .....

.....

हस्ताक्षर

(नाम, पद सहित)

परिशिष्ट–2

करार का प्रारूप

यह करार, दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को एक पक्ष के रूप में श्री ..... (जो इसमें इसके पश्चात् 'कर्मचारी' कहलायेगा) तथा दूसरे पक्ष के रूप में ..... के लिये और उसी ओर से ..... के ..... के बीच निष्पादित किया गया।

अतः ..... मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर दिनांक ..... से कर्मचारी को ..... के रूप में नियुक्ति के लिये सहमत है;

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार करार किया जाता है :–

(1) ..... कर्मचारी को नियोजित करेगी तथा कर्मचारी तारीख ..... से ..... के रूप में ..... की सेवा करेगा;

(2) कर्मचारी तारीख ..... से ..... वर्षों की कालावधि के लिये ..... की इनमें इसके पश्चात् उपबंधित किये गये अनुसार सेवा के पूर्व पर्यवसान के अध्यधीन रहते हुए सेवा करेगा;

(3) कर्मचारी अपना सम्पूर्ण समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करेगा तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारोबार या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाएगा और ..... जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से पहले अनुज्ञा अभिप्राप्त किये

करार का प्रारूप

यह करार, दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को एक पक्ष के रूप में श्री ..... (जो इसमें इसके पश्चात् 'कर्मचारी' कहलायेगा) तथा दूसरे पक्ष के रूप में ..... के लिये और उसी ओर से ..... के ..... के बीच निष्पादित किया गया।

अतः ..... मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर दिनांक ..... से कर्मचारी को ..... के रूप में नियुक्ति के लिये सहमत है;

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार करार किया जाता है :–

(1) ..... कर्मचारी को नियोजित करेगी तथा कर्मचारी तारीख ..... से ..... के रूप में ..... की सेवा करेगा;

(2) कर्मचारी तारीख ..... से ..... वर्षों की कालावधि के लिये ..... की इनमें इसके पश्चात् उपबंधित किये गये अनुसार सेवा के पूर्व पर्यवसान के अध्यधीन रहते हुए सेवा करेगा;

(3) कर्मचारी अपना सम्पूर्ण समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करेगा तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारोबार या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाएगा और ..... जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से पहले अनुज्ञा अभिप्राप्त किये

बिना (दुर्घटना के सिवाय या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का बीमारी का प्रमाण–पत्र दिये जाने के सिवाय) अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(4) कर्मचारी को उसकी पदस्थापना के स्थान से अन्यंत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा और उसे अपनी पदस्थापना के स्थान पर अपना मुख्यालय रखना होगा;

(5) इस करार का पर्यवसान, उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय की लिखित में कम से कम एक कैलेण्डर मास की सूचना देकर किया जा सकेगा और जिला/जनपद पंचायत द्वारा या उसकी ओर से दी गई ऐसी किसी सूचना के बारे में समझा जाएगा कि वह पर्याप्त सूचना है, यदि वह कर्मचारी को संबोधित तथा उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी गई है:

परन्तु कर्मचारी की सेवायें बिना किसी सूचना के भी समाप्त की जा सकेगी और कर्मचारी को पंचायत द्वारा एक मास की संविदा रकम के बराबर रकम का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि करार का पर्यवसान किसी कर्मचारी द्वारा एक मास की अपेक्षित सूचना दिए बिना संविदा कालावधि के अवसान के पूर्व किया जाता है तो वह एक मास की संविदा रकम का भुगतान संबंधित पंचायत को करेगा;

(6) किसी कर्मचारी की सेवाऐं, किसी भी समय बिना किसी, सूचना के समाप्त की जा सकेंगी, यदि कर्मचारी कोई अवचार करता है या इस करार के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय–समय पर उसे सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करता है;

(7) कर्मचारी को अपने नियोजन की अवधि के दौरान रूपये ..... प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा।

(8) कर्मचारी को किसी भी पेंशन की पात्रता नहीं होगी।

(9) इस करार के खण्ड (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी जिला/जनपद के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस करार के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर दें यदि सम्यक् रूप से गठित सलाहकार चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट से उसका इस बात से समाधान हो जाता है कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के योग्य नहीं है और उसके खराब स्वास्थ्य की वजह से विचारार्थ कालावधि के लिए उसके अयोग्य बरने रहने की संभावना है तो उसकी सेवाएं उसे पन्द्रह दिन की सूचना देकर समाप्त कर दी जायेगी। इस प्रकार सेवा समाप्ति की दशा में पंचायत, कर्मचारी को संविदा की अनवसित कालावधि के लिये किसी भी प्रतिकार का भुगतान करने के दायित्वाधीन नहीं होगी;

(10) केवल कर्तव्य पर यात्रा करते समय कर्मचारी, संबंधित पंचायत के तृतीय श्रेणी कर्मचारी को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(11) कर्मचारी को अपने नियोजन के दौरान मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 के नियम 10 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसार अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस करार को ऊपर लिखी तारीख ..... मास..... वर्ष 2001 को निष्पादित करके निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये और ..... जिला पंचायत/जनपद पंचायत की मुद्रा लगाई गई।

1. .....

2. .....

(1) नियोजक ..... के

हस्ताक्षर

(2) कर्मचारी के हस्ताक्षर(नाम)

जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री ..... के मुद्रा सहित हस्ताक्षर
म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ई.जी.एस. गुरूजी एवं स्थानीय समुदाय के बीच अनुबन्ध पत्र

मैं, श्री/सुश्री ..... ग्राम पंचायत .... के ग्राम/मजरा/टोला के शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला का/की गुरूजी अपनी पालक शिक्षक संघ से अनुबंध करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा शाला संबंधी निम्नलिखित दायित्व पूरे किये जायेंगे।

एवं

मैं श्री / सुश्री ..... अध्यक्ष, पालक–शिक्षक संघ ग्राम ..... अपने संघ की ओर से यह अनुबंध करता/करती हूँ कि निम्नलिखित दायित्व मेरे द्वारा वहन किये जायेंगे।

1. हम सुनिश्चित करेंगे कि एक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्य दिवसों में शाला संचालित हो। शाला प्रतिदिन कम 4 से कम 5 घण्टे जरूर लगे। पालक–शिक्षक संघ शाला को प्रभावी प्रबंधकीय और अनुवीक्षण सहायता प्रदान करेगी।

2. हम सुनिश्चित करेंगे की सभी शाला त्यागी व अप्रवेशी बच्चे शाला में दर्ज हों। ग्राम शिक्षा रजिस्टर, उपस्थिति पंजी, छात्र प्रगति पत्रक, गुरूजी की डायरी शाला सुविधा पंजी व शाला विकास योजना आदि शाला स्तरीय अभिलेख गुरूजी के द्वारा संधारित किये जायेंगे। शाला के सभी विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर के सुधार हेतु हर संभव प्रयास किये जायेंगे। गुरूजी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शाला के सभी बच्चे संतोषजनक स्तर तक उपलब्धि प्राप्त करें।

3. शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला के गुरूजी का मानदेय हर माह के पहले सप्ताह में प्रदान किया जायेगा। वांछित नैमेत्तिक सामग्री शाला को समय पर मुहैया करायी जायेगी। पालक शिक्षक संघ भवन निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित कर निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करायेगी। गुरूजी शाला का मासिक प्रतिवेदन तैयार कर पालक शिक्षक संघ के साथ उस पर चर्चा करेंगे एवं सुधार संबंधी आवश्यक कार्य करेंगे।

4. गुरूजी नियमित रूप से समय पर शाला संचालन करेंगे एवं बच्चों को शाला उपस्थिति हेतु प्रेरित करेंगे तथा बच्चों की उपस्थिति 90 प्रतिशत बनाये रखेंगे। वे शाला में उपलब्ध समस्त संसाधनों का यथायोग्य उपयोग करेंगे एवं शाला को साफ-सुधरा व आकर्षक रखेंगे।

5. पालक शिक्षक संघ की बैठकें नियमित होंगी एवं उनमें शाला के प्रबंधकीय और शैक्षिक सुधार हेतु निर्णय लिये जायेंगे।

6. हम शाला संबंधी सभी समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करेंगे।

हम उपरोक्त अनुबंध पर कायम रहेंगे एवं इसे किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं करेंगे।

गुरूजी के हस्ताक्षर अध्यक्ष, पालक-शिक्षक संघ
(स्थानीय समुदाय की ओर से)

गुरूजी का नाम ..... अध्यक्ष का नाम .....

गुरूजी एवं पालक-शिक्षक संघ के अध्यक्ष उपरोक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे एवं समुदाय के समक्ष पढ़कर सुनायेंगें। पालक-शिक्षक संघ के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी अनुबंध पत्रक पर लिये जायेंगे।